फैक्ट सीट

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)–

1 – आरक्षित वन भूमि	–	शून्य है0
2 – वन पंचायत भूमि	–	शून्य है0
3 – सिविल सोयम वन भूमि	–	1.7360 है0
4 – नाप भूमि	–	3.3030 है0
योग	–	**5.0390 है0**

2. प्रस्तावक विभाग का नामः– पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0, कालसी

3. वन प्रभाग का नामः– चकराता वन प्रभाग, चकराता

4. प्रस्ताव बांइडिंग किया गया हैः– हां√ / नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई हैः– हां√ / नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप में भाग 1,2 एवं 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हां√ / नहीं

8. क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। हां√ / नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्षाया गया है। हां√ / नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है। हां√ / नहीं

11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दषा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। हां / नहीं√

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हां√ / नहीं

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वृक्षों की सूची संलग्न है। हां√ / नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। हां√ / नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। हां√ / नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल को दर्षाया गया है। हां√ / नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / प्रयोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। हां√ / नहीं

18. क्या प्रयोजना क्षेत्र वन्य जीवों की संलग्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हां / नहीं√

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है–
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। हां / नहीं√

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। हां√ / नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां / नहीं

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगों से भरा गया है। हां√ / नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। हां / नहीं√

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन हुआ है। हां / नहीं√

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्व की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हां / नहीं√

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मान–चित्र पर दर्शायं गए हैं। हां√ / नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां√ / नहीं

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है। हां√ / नहीं
(5 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

4

29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है। हां√ / नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है। हा√ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है। हां√ / नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–प्रस्ताव में संलग्न है। हां√ / नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है। हां / नहीं

यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है। हां√ / नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है। हां√ / नहीं

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृत संलग्न है। हां√ / नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है। हां√ / नही

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है। हां√ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्स सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र / सूचनांये संलग्न कर दी गयी है।

अवर अभियन्ता / कनिष्ठ अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 नि0ख0 लो0नि0वि0, कालसी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 नि0ख0 लो0नि0वि0, कालसी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 नि0ख0 लो0नि0वि0, कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn. P.W.D.
Kalsi

(प्रपत्र – 2)

परिशिष्ट (देखिये नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरणः–

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / – परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि– और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(ग) परियोजना की लागत। –	.... लाख
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित – करने का औचित्य।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)।	संलग्न है।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की – सम्भावना है।	मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल / अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्बेश्यवार – विवरण।	आरक्षित वन भूमि – 0.000 है0 सिविल सोयम भूमि – 1.760 है0 नाप भूमि – 3.3030 है0 **कुल भूमि – 5.0390 है0**
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	लागू नहीं है।
(क) परिवारों की संख्या –	शून्य
(ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के – परिवारों की संख्या।	शून्य
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने– के लिये)।	शून्य

6

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? — संलग्न है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्वता (वचनवद्वता संलग्न की जाय)। — संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा। — संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनांक 12/5/2017

नाम– राजेश कुमार

स्थान– कालसी

अवर अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn., P.W.D.
Kalsi

प्रस्ताव की क्रम सं0...

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।

(प्रपत्र – 3)

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.............................

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ (लम्बाई–6.150 किमी0) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.7360 है0 वन भूमि का लो0नि0वि पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	1.7360 है0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0000 है0 आरक्षित वन भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 1.7360 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम सीढी बडकोटी/रंगेऊ **1.7360 है0 कुल वन भूमि**
(vi)	हरियाली का घनत्व	........0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल–2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल–4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 101 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 60 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या[illegible] से ...22तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक 18.12.2015 की भूगर्भीय आख्या संलग्न–प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या [illegible] से 33 तक चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि से नहीं गुजरता है एवं सिविल सोयम भूमि ग्राम उपरौली की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या [illegible] 25 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।

(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र 17 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भमि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या प्रपत्र 23 पर संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 42 तक पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र 42 पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 46 .... तक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :– जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजंसी :– स्वंय वन विभाग समय :– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :– क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रू0 6.608 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 42 तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 18.00 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 46 तक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रू0 .....6.608 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रू0 ..18.00...लाख परियोजना के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्लन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषत: उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या प्रपत्र 6 पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या प्रपत्र-6 पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चकराता वन प्रभाग/जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	308800 ~~वर्ग किमी0~~ है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	211691...... ~~वर्ग किमी0~~ है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 469 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 7102.51 है0 है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 6333.9.2 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक	

	वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 71025 है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 5076.60 है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 15-7-2017 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

दिनांक :– 15-7 2017

स्थान :– कालसी

हस्ताक्षर

नाम :– (दीप चन्द्र आर्य)

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

(प्रपत्र – 4)

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए वृक्षों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक.......................................

स्थान...

हस्ताक्षर

नामः–
सरकारी मोहर

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक.......................................

स्थान...

हस्ताक्षर

नामः–
सरकारी मोहर

कार्य का नामः— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता—लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई—6.150किमी0)

भाग — 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्रधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफ़ारिश (उपर्युक्त भाग—।। या भाग—।।। या भाग— IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)।

दिनांक.......................................

स्थान...

हस्ताक्षर

नामः—

सरकारी मोहर